संख्या:-942/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 10-08-2026

विषयः प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण (मुख्यतः अन्य आपदा उपकरणों का क्रय) हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1499/81-4-2026-2053873, दिनांक 03.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 31.07.2026 का सन्दर्भ देते हुए अप्रेजल समिति की बैठक में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01.07.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रू0 3392.95 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 14.05.2026 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01.07.2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण (मुख्यतः अन्य आपदा उपकरणों का क्रय) हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रू0 33,92,95,000/- **(रूपये तैंतीस करोड़ बानबे लाख पंचानबे हजार मात्र)** की धनराशि निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) प्रश्नगत परियोजना किसी अन्य विभागीय योजना/बजट के अन्तर्गत आच्छादित न हो।

(2) उक्त परियोजना का क्रियान्वयन चिन्हित भौगोलिक क्षेत्रों/मानव वन्य जीव संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

(3) जिन गांवों में मानव वन्य जीव द्वन्द्व की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं, ऐसे सम्बन्धित जनपदों से उक्त गांवों की सूची मंगाकर सम्बन्धित जनपदों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत परियोजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(5) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(8) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 33,92,95,000/- (रूपये तैंतीस करोड़ बानबे लाख पंचानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

228/2023-04-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन-Part(3)

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 10-08-2026
19:44:38

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्याः-942(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- राहत आयुक्त, उ0प्र0।
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-08/09/2026

प्रेषण संख्या:- 45
आवंटन आदेश संख्या:- 001-942
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4257-उप वन संरक्षक - वन उपयोग अधि0 , --06-मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ प्र	वर्तमान	339295000	339295000
		प्रगामी	339295000	339295000
	योग	वर्तमान	339295000	339295000
		प्रगामी	339295000	339295000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तैंतीस करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तैंतीस करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी